भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi110 001

फा.सं.रा.भा. 3(4)/2017-हिन्दी दिनांक 28 फरवरी, 2019

परिपत्र

विषय:- हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2018

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/01/2019-रा.भा.(का.-2) दिनांक 06 फ़रवरी, 2019 के माध्यम से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं।

1. केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत सहित) को हिन्दी में मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।
2. भारत सरकार के नागरिकों को हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुरस्कार लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार।

अत: उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं के लिए प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यत: पूरे भरे हुए) के साथ दिनांक 01 मई, 2019 तक राजभाषा विभाग पहुंच जानी चाहिए। इससे संबंधित पत्र आवश्यक सूचना हेतु संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

सीमा चोपड़ा 21.2.19
(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (मुख्यालय), कृषि भवन; तथा कृषि अनुसंधान भवन- I/II; एन.ए.एस.सी., पूसा; नई दिल्ली के सभी अधिकारी/अनुभाग शामिल है। **(वेबसाइट/ई-ऑफिस के माध्यम से)**
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ सभी संस्थानों/ब्यूरों/केन्द्रों के निदेशक **(वेबसाइट के माध्यम से)**
3. परियोजना निदेशक, डीकेएमए, पूसा, नई दिल्ली आईसीएआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाईल

संख्या : 12011/01/2019-रा.भा.(का.-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
* * *

अपर सचिव (डेयर) एवं सचिव (भा. कृ. अनु. प.)
AS(D) & Secy. (ICAR)
डायरी सं. /Dy. No. 202951
दिनांक/Date 12/2/19

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 06 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2018

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं।

1. केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

पात्रता/शर्तें :

(i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों।

(ii) सेवारत लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ तथा सेवानिवृत्त लेखक अपनी प्रविष्टि पीपीओ की छाया प्रति संलग्न करके इस विभाग को सीधे भेजें । **(प्रपत्र-1)**

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

विषय : पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

(ii) समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि।

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है । **(प्रपत्र-2)**

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹ 2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. **उपर्युक्त दोनों योजनाओं के लिए सामान्य शर्तें :**

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2018 से 31.12.2018 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। विभागीय मैनुअल, पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी ।

(viii) पुस्तक कम से कम 150 पृष्ठों की हो।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

(xi) केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

4. **प्रविष्टि भेजने की विधि :**

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र (अनिवार्यतः पूरे भरे हुए) के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

(iv) प्रविष्टियां **01 मई, 2019** तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए।

5. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

6. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

7. सामान्य सूचना :

(i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी (वातानुकुलित) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वैबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. प्रविष्टि भेजने का पता :

उप निदेशक (कार्यान्वयन),
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन-011-23438143

06/11/2019

(बी.एल.मीना)
उप सचिव (कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग- अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।

3. निदेशक, जन-संपर्क(गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

5. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।

6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।

7. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।

8. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

6/2/19

(सुस्मिता भट्टाचार्य)
उप निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष -011-23438143

अनुलग्नक

प्रपत्र-1

केन्द्र सरकार के कार्मिकों(सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2018

1. पुस्तक का नाम- (हिंदी में)..
   (अंग्रेजी में)...
   पुस्तक का ISBN ....
2. (i) लेखक/सहलेखक का पूरा नाम (हिंदी में)..
   (अंग्रेजी में)...
   (ii) पूरा पता...
   ....
   .... पिन कोड..
   (iii) मोबाइल नं. ....ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में) ....
3. (i) प्रकाशक का नाम ....फोन नं...
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता...
   (iii) प्रकाशन का वर्ष..
4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है: हां/नहीं.................................
   यदि हां, तो वर्ष......................... एवं पुरस्कार का विवरण...
   ....
   (iii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां तो वर्ष................................एवं पुरस्कार का विवरण...
5. (क) आधार नं. ....
   (ख) **आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते** संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें:
   (i) बैंक का नाम -..
   (ii) बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) - ....
   (iii) आई एफ एस सी कोड-...
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
   (i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ ।
   (ii) मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय ....में कार्यरत हूँ।
   अथवा मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय..से सेवानिवृत्त हूं और मेरा पीपीओ नंबर (प्रति संलग्न)..है।
   (iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
   (iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।
   मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................

दिनांक:....................... लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर...

कार्यालय द्वारा सत्यापन/अग्रेषण(सेवारत लेखक के मामले में) :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..इस कार्यालय में सेवारत हैं ।

(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

अनुलग्नक

प्रपत्र-2

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष 2018

1. पुस्तक का नाम -(हिंदी में)..
(अंग्रेजी में)..
पुस्तक का ISBN नंबर ....

2. (i) लेखक/सहलेखक का नाम- (हिंदी में)..
(अंग्रेजी में)..
(ii) पूरा पता..
.... (पिन कोड सहित)..............................
(iii) मोबाइल नं.....................................ई-मेल (स्पष्ट अक्षरों में)..............................

3. (i) प्रकाशक का नाम..फोन नं..............................
(ii) प्रकाशक का पूरा पता..
(iii) प्रकाशन का वर्ष..

4. (i) क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है: हां/नहीं
यदि हां, तो वर्ष .... एवं पुरस्कार का विवरण..
....
(ii) क्या पुस्तक के लेखक/सहलेखक को पिछले तीन वर्षों में राजभाषा विभाग की किसी भी पुस्तक लेखन योजना के अन्तर्गत कोई भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां तो वर्ष .... एवं पुरस्कार का ब्यौरा ....

5. (क) आधार नं..
(ख) **आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते** संबंधी निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दें:
(i) बैंक का नाम -..
(ii) बैंक खाता संख्या नं. (पूरा) -..
(iii) आई एफ एस सी कोड-..

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि
(i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री .... भारतीय नागरिक हूँ ।
(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।
(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................
दिनांक:.......................

लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर..................................

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।
नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

No.12011/01/2019-OL(Impl.II)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

B Wing, 4th floor, NDCC-2 Building, Jai Singh Road
New Delhi-110001, Dated 06 February, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Rajbhasha Gaurav Award Scheme for Original Book Writing in Hindi for the year 2018.

Books published between 01.01.2018 and 31.12.2018 are invited for the under mentioned award schemes of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for original book writing in Hindi.

1. Rajbhasha Gaurav Award for Original Book Writing in Hindi for Central Govt. Employees(Including Retired Employees)

Eligibility/Conditions :

(i) The author must be a working/retired officer/employee of the Ministries/ Departments/their attached/subordinate offices, Public Sector Undertakings/ Nationalised Banks/Financial Institutions and Autonomous Bodies/Universities/ Training Institutes owned or controlled by the Central Government.

(ii) Serving Author should send his/her entry with the attestation and recommendations of the head of department and retired author should send his/her entry to this department directly along with the photocopy of PPO (Proforma-1)

Awards : The following prizes will be given under the scheme :-

First Prize	-	₹ 1,00,000, a Certificate and a Memento
Second Prize	-	₹ 75,000, a Certificate and a Memento
Third Prize	-	₹ 60,000, a Certificate and a Memento

2. Rajbhasha Gaurav Award for Original Book Writing in Hindi on 'Gyan-Vigyan' for the Citizens of India

Subjects :

The book may be on any stream of modern Technology/Science or contemporary subjects. For example : -

(i) Engineering, electronics, computer science, physics, biology, energy, space science, medical science, chemistry, information technology, management, psychology etc.

(i) Contemporary subjects such as liberalisation, globalisation, consumerism, human rights, pollution etc.

Eligibility : Any citizen of India can take part in the Award Scheme.(Proforma-2)

Awards :

First Prize (One) - ₹ 2,00,000, a Certificate and a Memento.
Second Prize (One) - ₹ 1,25,000, a Certificate and a Memento.
Third Prize (One) - ₹ 75,000, a Certificate and a Memento.

3. Common terms for the above schemes :

(i) Entry can be sent for only one of the above mentioned schemes. In case of Authors being more than one, each co-author must fill the proforma separately.
(ii) Under the scheme only those books in Hindi which are original work of the author are accepted. Translated books are not accepted.
(iii) The books awarded previously by any government organization will not be eligible. Department of Official Language must be informed immediately if the book is awarded under any other award scheme before the declaration of awards under the subject scheme.
(iv) Under the scheme, books published between 01.01.2018 and 31.12.2018 are acceptable.
(v) The book should be an analytical review of the subject it deals with. Books written in the form of departmental manuals, thesis for Ph.D., poems, novel, story, play etc. or text books are not eligible .
(vi) The author will be responsible for facts and figures given in the book and must give references wherever possible as proof.
(vii) If a person has received a prize under the original book writing scheme of Department of Official Language during the preceding three years, his/her entry shall not be considered. However, Co-author if any, is eligible. The co-author will be given the amount proportionally.
(viii) The book should contain at least 150 pages.
(ix) If the Evaluation Committee arrives at the conclusion that none of the books, sent as entries, is suitable for the award, its decision in this regard will be considered as final.
(x) In case, a book selected for the award has more than one author, award money will be divided equally among them.
(xi) Only those Books which have ISBN will be entertained under this scheme.

4. Procedure for sending the entries

(i) The author should send his/her entry/entries along with proforma (compulsorily fully filled) given at Annexure without which no entry will be entertained.
(ii) Three copies of the book be sent invariably with each entry. The books will not be returned.
(iii) An author may send only one entry in a scheme.
(iv) All entries must reach this Department latest by **01 May, 2019.**

5. **Evaluation Procedure of Books:**

Books will be evaluated by a committee of available renowned scholars/experts based on the criteria set by the Department of Official Language.

6. **Declaration and distribution of awards :**

(i) Decision regarding the award will be intimated through a letter to all the awardees and will also be placed on the Department's Website.
(ii) Awards will be given away on the date fixed by the Department of Official Language.

7. **General Information:**

(i) No correspondence regarding conferment of the award or procedure of selection of a book for the award will be entertained.
(ii) Awardees coming from places other than the place fixed for distribution of awards will be given 2nd A.C. rail fare for to and fro and daily allowance as per rules of the Govt. of India . Arrangement for lodging is to be done at own expenses.
(iii) Information about this scheme is also available on our website http://www.rajbhasha.gov.in .

8. **Entries may be sent at the following address:**

Deputy Director (Implementation),
Implementation-2 Section,
Department Of Official Language,
Ministry Of Home Affairs,
'B' Wing, 4th floor, NDCC-2 Building,
Jai Singh Road, New Delhi-110001.
Phone- 011-23438143

06/02/2019
(B.L.Meena)
Deputy Secretary(Impl.)
Phone : 011-23438129

Copy: as in Hindi version

Annexure

PROFORMA-1

RAJBHASHA GAURAV AWARD FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES(INCLUDING RETIRED) FOR WRITING ORIGINAL BOOK IN HINDI - YEAR 2018

1. Title of the book - (In Hindi) ....
   (In English)-..
   ISBN of the book..
2. (i) Name of the Author/Co-author (full Name in Hindi)..
   (In English)..
   (ii) Full Address..
   .... Pin Code..........................
   (iii) Mobile Phone No. .... e-mail ID (In Bold Letters)..........................
3. (i) Name of the publisher..Phone No..........................
   (ii) Full Address of the publisher..
   (iii) Year of publishing..
4. (i) Has the book been awarded by any Government organisation previously? If yes, year.............. and the details of the award ....
   (ii) Has the author/co-author of the book been awarded under any of the book writing schemes of Department of Official Language during the preceding three years. If yes, year.........................and full details there of..
5. (a) Aadhaar No. ....
   (b) please provide compulsorily the following details of **Aadhaar Card linked Bank Account:**
   (i) Name of the bank: ....
   (ii) Bank Account No. (Full): ....
   (iii) IFSC Code..
6. I certify that
   (i) I .... son/daughter of ....am a citizen of India.
   (ii) I am *working in* the office ....of central government or under the central government. *OR* I am *retired from* the office .... of central government or under the central government and My PPO Number (copy attached) is ....
   (iii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
   (iv) The copyright of any other person is not violated by entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book.

I promise to abide by the provisions of the regulations of the above said Award Scheme.

Place:

Date: Signature of Author/Co-author..

Verification/Forwarding by Office (in case of serving officer)

Certified that Shri..is a serving Employee/Officer of this office.

(Signature with Office Seal)

Note 1 : Strike off whichever is not applicable.

Note 2 : In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.

Annexure

PROFORMA-2

RAJBHASHA GAURAV AWARD FOR CITIZENS OF INDIA FOR WRITING ORIGINAL BOOK IN HINDI ON 'GYAN-VIGYAN'- YEAR 2018

1. Title of the book (In Hindi) ....
   (In English)..
   ISBN of the book ....

2. (i) Name of the Author/Co-author(Full Name in Hindi)..
   (In English)..
   (ii) Full Address..
   .... Pin Code..............................
   (iii) Mobile Phone No.......................... e-mail ID (In Bold Letters)..............................

3. (i) Name of the publisher..Phone No......................................
   (ii) Full Address of the publisher..
   (iii) Year of publishing..

4. (i) Has the book been awarded by any Government organisation previously? If yes, year............. and full details thereof ....
   ....
   (ii) Has the author/co-author of the book been awarded under any of the book writing schemes of the Department of Official Language during the preceding three years. If yes, the year...............and full details thereof..

5. **(a)** Aadhaar No. ....
   (b) please provide compulsorily the following details of **Aadhaar Card linked Bank Account:**
   (i) Name of the bank: ....
   (ii) Bank Account No. (Full): ....
   (iii) IFSC Code ....

6. I certify that
   (i) I .... son/daughter of ....am an Indian citizen.
   (ii) The book has been written originally in Hindi by me/us.
   (iii) The copyright of any other person is not violated by entering my book in this scheme and I am responsible for the facts and figures given in the book.

I promise to abide by the provisions of the regulations of the above said Award Scheme.

Place:

Date: Signature of Author/Co-author..............................

Note 1:- Strike off whichever is not applicable.

Note 2:- In case of Authors being more than one, each co-author shall fill the above proforma separately.